Serving Education for Last 40 Years

NEERAJ®

# भारत में संवैधानिक सरकार और लोकतंत्र

## ( Constitutional Government and Democracy in India )

# BPSC-102

**Chapter Wise Reference Book**
**Including Many Solved Sample Papers**

*Based on*

**C.B.C.S. (Choice Based Credit System) Syllabus of**

# I.G.N.O.U.

**& Various Central, State & Other Open Universities**


By: *Ved Prakash Sharma*



**NEERAJ PUBLICATIONS**
*(Publishers of Educational Books)*

Mob.: 8510009872, 8510009878 E-mail: info@neerajbooks.com
Website: www.neerajbooks.com

**MRP ₹ 280/-**

<u>Content</u>

# भारत में संवैधानिक सरकार और लोकतंत्र

## ( Constitutional Government and Democracy in India )

Question Paper–June-2024 (Solved) ........................................ 1
Question Paper–December-2023 (Solved) ........................................ 1
Question Paper–June-2023 (Solved) ........................................ 1
Question Paper–December-2022 (Solved) ........................................ 1
Question Paper–Exam Held in July-2022 (Solved) ........................................ 1
Question Paper–Exam Held in March-2022 (Solved) ........................................ 1
Question Paper–Exam Held in February-2021 (Solved) ........................................ 1

| S.No. | Chapterwise Reference Book | Page |
|---|---|---|
| 1. | संविधान का निर्माण<br>( The Making of The Indian Constitution ) | 1 |
| 2. | दार्शनिक आधार<br>( Philosophical Premises ) | 13 |
| 3. | प्रस्तावना<br>( Preamble ) | 24 |
| 4. | मौलिक अधिकार<br>( Fundamental Rights ) | 34 |
| 5. | राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत<br>( Directive Principles of State Policy ) | 49 |
| 6. | मौलिक कर्तव्य<br>( Fundamental Duties ) | 58 |
| 7. | विधायिका<br>( Legislature ) | 66 |

| S.No. | Chapterwise Reference Book | Page |
|---|---|---|


8. कार्यपालिका ........ 79
(Executive)

9. न्यायपालिका ........ 94
(Judiciary)

10. शक्तियों का विभाजन ........ 111
(Division of Powers)

11. आपातकालीन प्रावधान ........ 122
(Emergency Provisions)

12. पाँचवीं एवं छठी अनुसूची ........ 128
(Fifth and Sixth Schedules)

13. स्थानीय स्व-शासन ........ 134
(Local Self-Governments)


■■

# Sample Preview of the Solved Sample Question Papers

*Published by:*

NEERAJ PUBLICATIONS
www.neerajbooks.com

# QUESTION PAPER

*June – 2024*

*(Solved)*

## भारत में संवैधानिक सरकार और लोकतंत्र

**( Constitutional Government and Democracy in India )** **BPSC-102**

*समय : 3 घण्टे ]* *[ अधिकतम अंक : 100*

***नोट :*** *इस प्रश्न-पत्र में दो अनुभाग हैं। कुल पाँच प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक अनुभाग में से कम-से-कम दो प्रश्नों के उत्तर दीजिए।*

### अनुभाग-I

**प्रश्न 1. भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए।**

**उत्तर संदर्भ** देखें अध्याय-1, पृष्ठ-3, 'संविधान की प्रमुख विशेषताएं'

**प्रश्न 2. भारतीय संविधान के बुनियादी दार्शनिक सिद्धांतों का वर्णन कीजिए।**

**उत्तर संदर्भ** देखें अध्याय-2, पृष्ठ-14, प्रश्न 2

**प्रश्न 3. संविधान में मौलिक कर्तव्यों की प्रकृति और महत्त्व का वर्णन कीजिए।**

**उत्तर संदर्भ** देखें अध्याय-6, पृष्ठ-65, प्रश्न 4, पृष्ठ-60, 'मौलिक कर्तव्यों का महत्त्व'

**प्रश्न 4. निम्नलिखित पर टिप्पणियाँ लिखिए**

**( अ ) राज्य के नीति निदेशक सिद्धान्त**

**उत्तर संदर्भ** देखें अध्याय-5, पृष्ठ-49, 'राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की उत्पत्ति'

**( ब ) समानता का अधिकार**

**उत्तर संदर्भ** देखें अध्याय-4, पृष्ठ-36, 'समानता का अधिकार (अनुच्छेद 14-18)'

### अनुभाग-II

**प्रश्न 5. भारतीय संसद के कार्यो का वर्णन कीजिए।**

**उत्तर संदर्भ** देखें अध्याय-7, पृष्ठ-73, प्रश्न 5

**प्रश्न 6. भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की स्थिति का परीक्षण कीजिए।**

**उत्तर संदर्भ** देखें अध्याय-8, पृष्ठ-79, 'भारत का राष्ट्रपति', पृष्ठ-81, 'प्रधानमंत्री', पृष्ठ-82, 'राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री'

**प्रश्न 7. भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधानों का समालोचनात्मक वर्णन कीजिए।**

**उत्तर संदर्भ** देखें अध्याय-11, पृष्ठ-123, प्रश्न 2

**प्रश्न 8. निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए**

**( क ) भात में स्थानीय स्वशासन ( एल.एस.जी. ) का कार्य**

**उत्तर संदर्भ** देखें अध्याय-13, पृष्ठ-136, '74वें संविधान संशोधन के उपरांत (1992) शहरी स्थानीय स्व-शासन निकाय'

**( ख ) न्यायिक समीक्षा**

**उत्तर संदर्भ** देखें अध्याय-9, पृष्ठ-97, 'न्यायिक पुनरावलोकन'

■■

NEERAJ PUBLICATIONS www.neerajbooks.com

# QUESTION PAPER

*December – 2023*

*(Solved)*

## भारत में संवैधानिक सरकार और लोकतंत्र

**( Constitutional Government and Democracy in India )**

**BPSC-102**

*समय : 3 घण्टे ]* *[ अधिकतम अंक : 100*

*नोट : इस प्रश्न-पत्र में दो अनुभाग हैं। कुल पाँच प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक अनुभाग में से कम-से-कम दो प्रश्नों के उत्तर दीजिए।*

**अनुभाग-I**

**प्रश्न 1. 1858-1935 के मध्य उपनिवेशिक सरकार द्वारा पारित अधिनियमों के मुख्य लक्षणों की चर्चा कीजिए।**

**उत्तर संदर्भ** देखें अध्याय-1, पृष्ठ-1, 'भारतीय संविधान की उत्पत्ति 1858-1935'

**प्रश्न 2. संवैधानिक सभा की दार्शनिक और वैचारिक पृष्ठभूमि की व्यख्या कीजिए।**

**उत्तर संदर्भ** देखें अध्याय-2, पृष्ठ-13, 'वैचारिक और दार्शनिक पृष्ठभूमि', पृष्ठ-14, प्रश्न 1

**प्रश्न 3. मौलिक अधिकारों के विशिष्ट लक्षणों की चर्चा कीजिए।**

**उत्तर संदर्भ** देखें अध्याय-4, पृष्ठ-34, 'परिचय', 'मौलिक अधिकारों की विशेषताएँ', पृष्ठ-40, 'मौलिक अधिकारों के लक्षण', अध्याय-5, पृष्ठ-51, 'मौलिक अधिकारों की प्रमुख विशेषताएँ'

**प्रश्न 4. निम्नलिखित पर संक्षिप्त लेख लिखिए**

**( अ ) राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत**

**उत्तर संदर्भ** देखें अध्याय-5, पृष्ठ-49, 'राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की उत्पत्ति'

**( ब ) संविधान की प्रस्तावाना**

**उत्तर संदर्भ** देखें अध्याय-3, पृष्ठ-28, प्रश्न 1

**अनुभाग-II**

**प्रश्न 5. मौलिक दायित्व पर एक लेख लिखिए।**

**उत्तर संदर्भ** देखें अध्याय-6, पृष्ठ-58, 'परिचय', पृष्ठ-60, प्रश्न 1, पृष्ठ-61, प्रश्न 4

**प्रश्न 6. भारत की संसद में विधायिका की प्रक्रिया की चर्चा कीजिए।**

**उत्तर संदर्भ** देखें अध्याय-7, पृष्ठ-74, प्रश्न 6

**प्रश्न 7. भारत के संविधान में केन्द्र और राज्यों के मध्य शक्ति विभाजन की चर्चा कीजिए।**

**उत्तर संदर्भ** देखें अध्याय-10, पृष्ठ-113, प्रश्न 1

**प्रश्न 8. निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए**

**( क ) न्यायिक पुनरावलोकन**

**उत्तर संदर्भ** देखें अध्याय-9, पृष्ठ-97, 'न्यायिक पुनरावलोकन'

**( ख ) संविधान की छठी अनुसूची**

**उत्तर संदर्भ** देखें अध्याय-12, पृष्ठ-129, 'छठी अनुसूची'

■■

NEERAJ PUBLICATIONS www.neerajbooks.com

# Sample Preview of The Chapter

*Published by:*

**NEERAJ PUBLICATIONS**

www.neerajbooks.com

# भारत में संवैधानिक सरकार और लोकतंत्र
## ( Constitutional Government and Democracy in India )

## संविधान का निर्माण
## ( The Making of The Indian Constitution )

1

### परिचय

भारतीय संविधान भारत के लोगों द्वारा बनाया गया तथा स्वयं को समर्पित किया गया। संविधान सभा द्वारा 26 नवम्बर, 1949 को अंगीकार किया गया था तथा इसके ठीक 2 माह पश्चात् अर्थात् 26 जनवरी, 1950 से पूर्णरूप से लागू हुआ। यद्यपि संविधान के कुछ प्रावधान, जैसे-नागरिकता, चुनाव, अस्थायी संसद एवं अन्य संबंधित प्रावधान 26 नवम्बर, 1949 को ही लागू हो गए थे, लेकिन 26 जनवरी, 1950 को इसे इसलिए लागू किया गया क्योंकि इसी दिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत की आजादी का उत्सव मनाया था। इस अध्याय के अंतर्गत हम, संविधान सभा के गठन के पूर्व संविधान निर्माण के चरण, संविधान सभा के प्रतिनिधित्व की प्रकृति तथा संविधान सभा में संविधान की महत्त्वपूर्ण विशेषताओं आदि का अध्ययन करेंगे।

### अध्याय का विहंगावलोकन

#### भारतीय संविधान की उत्पत्ति 1858-1935

भारतीय संविधान में समस्त नागरिकों के लोकतांत्रिक अधिकारों के प्रावधान मौजूद हैं। ये प्रावधान उन्हें भी प्रदान किए गए हैं, जो भारत के नागरिक नहीं हैं। भारत में संविधान लोकतंत्र एवं सामाजिक बदलाव की परिकल्पना को प्रस्तुत करता है। भारतीय संविधान के निर्माण में लोकतांत्रिक संस्थाओं की उत्पत्ति की प्रक्रिया एवं अधिकार संविधान सभा के निर्माण से पहले ही प्रारंभ की गई थी। भारतीय संविधान 9 दिसम्बर, 1947 से लेकर 26 नवम्बर, 1949 के मध्य वार्तालाप की उपज है, परंतु उनकी कुछ विशेषताएं अनेक अधिनियमों द्वारा पारित प्रावधान से प्राप्त हुई हैं।

#### भारत शासन अधिनियम, 1935 एवं अन्य अधिनियम

ईस्ट इंडिया कम्पनी से अंग्रेजी शासन को सत्ता हस्तांतरण के बाद ब्रिटिश संसद भारत के मामलों के व्यवस्थापन में संलिप्त हो गई। इस उद्देश्य को पूर्ण करने की इच्छा से 1885 से 1935 तक औपनिवेशिक शासन द्वारा अनेक प्रकार के शासन अधिनियम लागू किए गए। भारत शासन अधिनियम, 1935 इनमें से प्रमुख था।

भारत शासन अधिनियम, 1935 की प्रमुख विशेषता यह थी कि इसमें ब्रिटिश प्रान्तों तथा संघ में शामिल होने के लिए तैयार भारतीय रियासतों की एक अखिल भारतीय फेडरेशन की कल्पना की गई थी। 1909 में भारत परिषद् अधिनियम लागू होने के बाद प्रांतीय सरकारों की राजनीतिक संस्थाओं के क्षेत्रों का विस्तार किया गया। इस अधिनियम का उद्देश्य प्रतिनिधित्व व्यवस्था को ब्रिटिश शासन में लागू करना था। इसमें गैर-मुस्लिम चयनित सदस्य भी शामिल थे। 1919 के भारत सरकार अधिनियम में प्रांतों को पहली बार विधि में अपने तरीके से कार्यपालक तथा विधायी शक्तियों का प्रयोग करने वाली पृथक् इकाइयों के रूप में मान्यता प्रदान की गई। इस अधिनियम के तहत बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया और उड़ीसा तथा सिंध के दो नए प्रांत बना दिए गए।

भारत सरकार अधिनियम, 1935 अन्य अधिनियमों से भिन्न था। विगत अधिनियमों की बजाय भारत सरकार अधिनियम, 1935 प्रांतीय स्वायत्तता पर बल देता है। इसके द्वारा अल्पसंख्यकों को संरक्षण प्रदान किया गया। इस अधिनियम के द्वारा संघ एवं प्रांतों के मध्य तीन सूचियों (संघ सूची, समवर्ती सूची तथा प्रांतीय सूची) के अंतर्गत सत्ता के बंटवारे का प्रावधान किया गया। इस अधिनियम में केन्द्र सरकार के गठन का प्रावधान भी था, जिसमें राज्य एवं प्रांतों के प्रतिनिधि आते थे। इस प्रकार की सरकार को संघ सरकार कहते थे, क्योंकि इसमें राज्य एवं प्रांत दोनों के सदस्य होते थे, परंतु संघ सरकार की स्थापना नहीं हो सकी, क्योंकि राजाओं के मध्य संघ में शामिल होने पर सहमति नहीं थी। इस प्रकार इस अधिनियम के तहत सिर्फ प्रांतीय सरकारों का गठन किया गया और इस अधिनियम के तहत प्रांतीय विधायिका के चुनाव 1937 में हुए। भारत सरकार

www.neerajbooks.com



अधिनियम, 1935 ने संविधान सभा के लिए संविधान निर्माण की नींव रखी।

**नेहरू रिपोर्ट : संविधान के मसौदे का प्रथम भारतीय प्रयास**

भारतीयों द्वारा संविधान तैयार करने का प्रथम प्रयास 1928 में नेहरू रिपोर्ट में किया गया। इससे पूर्व 1921-22 में असहयोग आंदोलन के दौरान भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के नेताओं द्वारा स्वराज के रूप में प्रयास किया गया था। नेहरू रिपोर्ट भारत के लिए प्रस्तावित नए अधिराज्य के संविधान की रूपरेखा थी। 28 अगस्त, 1928 को जारी यह रिपोर्ट ब्रिटिश सरकार के भारतीयों के लिए एक संविधान बनाने को अयोग्य बताने की चुनौती का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में दिया गया एक सशक्त प्रत्युत्तर था। मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में गठित इस प्रारूप निर्मात्री समिति में 2 मुसलमान सहित 9 सदस्य थे। नेहरू जी इस समिति के सचिव थे। नेहरू रिपोर्ट ने सुझाव दिया कि साम्प्रदायिक चुनाव पद्धति का त्याग किया जाए ताकि उसके स्थान पर अल्पसंख्यकों के लिए उनकी आबादी के आधार पर स्थान आरक्षित किया जाए। इसने संपूर्ण भारत के लिए एक इकाई वाला संविधान प्रस्तुत किया, जिसके द्वारा भारत को केन्द्र तथा प्रांतों में पूर्ण स्वायत्तता मिले। इसने पुरुष एवं महिलाओं के लिए सार्वभौमिक मताधिकार की मांग की। 1934 में नेहरू रिपोर्ट तैयार होने के कुछ वर्षों बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने आधिकारिक रूप से बिना बाहरी लोगों के हस्तक्षेप के भारत के लोगों के लिए एक संविधान की मांग की।

## संविधान सभा का गठन

**क्रिप्स मिशन**

क्रिप्स मिशन ब्रिटिश सरकार द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों का सहयोग प्राप्त करने के लिए किया गया एक असफल प्रयास था, जो मार्च, 1942 के उत्तरार्द्ध में सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, जो कि लेबर पार्टी से संबंधित थे, की अध्यक्षता में भारत आया था। क्रिप्स मिशन का प्रमुख उद्देश्य भारतीय नेताओं, (प्रमुख रूप से कांग्रेस व मुस्लिम लीग के नेताओं) के सहयोग से युद्ध काल में भारतीयों का सहयोग प्राप्त करना था। इसके बदले में क्रिप्स ने युद्ध की समाप्ति के बाद भारत में चुनाव कराने व औपनिवेशिक दर्जा प्रदान करने का वादा किया। जिसके तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल एकदम खिलाफ थे। क्रिप्स प्रस्ताव लेबर पार्टी के सौजन्य से भेजा गया था, जिसका मानना था कि भारतीयों को सुशासन का अधिकार है। क्रिप्स ने भारतीय नेताओं के साथ मुलाकात के बाद एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसे क्रिप्स प्रस्ताव कहा गया, जिसे कांग्रेस व मुस्लिम लीग दोनों ने अस्वीकृत कर दिया। इसकी प्रमुख सिफारिशें थीं–(1) भारत को प्रभुत्व का दर्जा प्रदान करना, (2) समस्त प्रांतों एवं राज्यों को मिलाकर भारतीय संघ का निर्माण करना तथा (3) निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान की रचना करना, परंतु जो प्रांत संविधान को स्वीकारने को तैयार नहीं थे, उन्हें अपनी वास्तविक स्थिति कायम रखने की छूट थी।

**कैबिनेट मिशन**

ब्रिटिश शासन ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के मध्य मतभेदों को दूर करने के लिए एटली मंत्रिमण्डल द्वारा मार्च, 1946 में तीन सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डल भारत भेजा, जिसे कैबिनेट मिशन के नाम से जाना गया। इसका प्रमुख उद्देश्य भारतीय नेताओं से मिलकर उन्हें इस बात का विश्वास दिलाना था कि सरकार संवैधानिक मामले पर शीघ्र ही समझौता करने को तैयार है। 16 मई, 1946 को इस मिशन ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। रिपोर्ट में कैबिनेट मिशन ने निम्नलिखित सिफारिशें की थीं–

1. एक भारतीय संघ स्थापित होगा, जिसमें देशी राज्य व ब्रिटिश भारत के प्रान्त शामिल होंगे। यह संघ वैदेशिक, रक्षा तथा यातायात विभागों की व्यवस्था करेगा।
2. संघ में देशी राज्यों व ब्रिटिश भारत के प्रतिनिधियों की एक कार्यपालिका होगी। किसी साम्प्रदायिक समस्या पर निर्णय करने से पूर्व यह आवश्यक होगा कि विधानमण्डल में दोनों मुख्य सम्प्रदायों के प्रतिनिधि अलग-अलग मत से उसका समर्थन करें।
3. संघ सूची के अलावा अन्य समस्त विषयों पर प्रान्तों का अधिकार होगा।
4. संविधान निर्माण के लिए एक संविधान सभा के गठन की बात कही गई। संविधान सभा का चुनाव प्रान्तीय विधानसभाओं के सदस्यों से किया जाना था। इन सदस्यों को तीन वर्गों, सामान्य, मुस्लिम एवं सिख में बांटने की योजना थी। यह चुनाव आनुपातिक प्रणाली के आधार पर किया जाना था।
5. प्रान्तों को कार्यपालिका एवं विधायिका के साथ समूह बनाने की छूट थी।

**संविधान सभा का चुनाव**

कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव के अनुसार संविधान सभा का चुनाव कराया गया, जिसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग के सदस्यों को वापस लिया गया। प्रांतीय विधायी सभा द्वारा संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किया गया। कैबिनेट मिशन के समूह खंड के ऊपर कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के मध्य मतभेद दिखाई दिए। 6 दिसम्बर, 1946 को ब्रिटिश सरकार ने एक विवरण प्रकाशित किया, जिसमें दो विधान क्षेत्र एवं दो राज्यों की संभावना को दर्शाया गया। इसके फलस्वरूप, 9 दिसम्बर, 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक बुलाई गई, जिसका मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया और इसने मुस्लिम लीग की मौजूदगी के बिना कार्य किया।

## संविधान सभा के प्रतिनिधित्व की प्रकृति

आमतौर पर यह कहा जाता है कि संविधान सभा के तहत भारत के आम नागरिकों का प्रतिनिधित्व नहीं था, क्योंकि उसके सदस्यों का चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं किया गया था, परंतु इसका अर्थ यह नहीं कि हम इसे प्रतिनिधिक संस्था न मानें।

Neeraj Publications www.neerajbooks.com

www.neerajbooks.com

www.neerajbooks.com



संविधान सभा में लगभग सभी सम्प्रदायों के सदस्य थे। कैबिनेट मिशन ने संविधान सभा में अप्रत्यक्ष चुनाव का प्रावधान किया। इसका चुनाव प्रांतीय विधायिका के सदस्यों द्वारा किया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया ताकि संविधान सभा के चुनाव वयस्क मताधिकार से हो सकें। संविधान सभा में अनेक विचारधाराओं के सदस्य थे तथा तीन धार्मिक समुदाय के सदस्य भी थे, उनमें सिख, मुस्लिम, हिन्दू एवं पारसी आदि थे। संविधान सभा के अधिकतर सदस्य भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य थे। इनमें एक दर्जन से ज्यादा गैर-कांग्रेसी सदस्य भी शामिल थे।

तत्कालीन भारतीय राजनीति के सर्वाधिक प्रमुख दल कांग्रेस ने संविधान सभा को ज्यादा-से-ज्यादा प्रतिनिधि स्वरूप प्रदान करने का प्रयास किया। कांग्रेस के तो समस्त शीर्ष स्तर के नेता, पं. नेहरू, सरदार पटेल, डॉ. राजेन्द्र प्रसाद, मौलाना आजाद, चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य, पं. गोबिन्द वल्लभ पंत, बाल गोबिन्द खेर, बाबू पुरुषोत्तमदास टण्डन, श्री के.एम. मुंशी और आचार्य जे.बी. कृपलानी इसके सदस्य थे। कांग्रेस के ही प्रयासों से वैधानिक और प्रशासनिक योग्यता की दृष्टि से दक्ष ऐसे अनेक व्यक्तियों का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ, जो कांग्रेस से जुड़े हुए नहीं थे। इनमें से कुछ प्रमुख थे-प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉ. अम्बेडकर, ए.के. अय्यर, एन.जी. आयंगर, संथानम्, एम.आर. जयकर, सच्चिदानंद सिन्हा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, बी. शिवराव, डॉ. राधाकृष्णन, के.टी. शाह, एम.सी. मुखर्जी तथा हृदयनाथ कुंजरू आदि। इन्हीं लोगों ने सभा को तकनीकी आधार प्रदान किया। संविधान के मूल स्वरूप का निर्माण करने, उसको दार्शनिक आधार प्रदान करने तथा उसे उद्देश्यपूर्ण बनाने में इन व्यक्तियों तथा इनकी सामाजिक एवं व्यावसायिक पृष्ठभूमि की प्रमुख भूमिका रही।

## संविधान निर्माण में संविधान सभा की भूमिका 1946-1949

संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन 9 दिसम्बर, 1946 को सम्पन्न हुआ। इसमें सभी 296 सदस्यों को शामिल होना था, लेकिन केवल 207 सदस्यों ने ही भाग लिया, क्योंकि मुस्लिम लीग के सदस्यों ने इसका बहिष्कार किया था। इसी सभा में डॉ. सच्चिदानंद सिन्हा को सर्वसम्मति से संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। इसके बाद 11 दिसम्बर, 1946 को कांग्रेसी नेता डॉ. राजेन्द्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष चुने गए। 13 दिसम्बर, 1946 को नेहरू जी द्वारा उद्देश्य-प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। इस प्रस्ताव में भारत के भावी प्रभुतासम्पन्न, लोकतांत्रिक गणराज्य की रूपरेखा प्रस्तुत की गई। इस प्रस्ताव में एक ऐसी संघीय राज्य व्यवस्था की परिकल्पना की गई थी, जिसमें अवशिष्ट शक्तियां स्वायत्त इकाइयों के पास होतीं और प्रभुसत्ता जनता के हाथों में। इस प्रस्ताव में समस्त नागरिकों को सामाजिक और राजनीतिक, न्याय परिस्थिति की, अवसर की और कानून के समक्ष समानता, विचारधारा, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था, पूजा और व्यवसाय, संगम और कार्य की स्वतंत्रता की गारंटी प्रदान की गई थी। इसी के साथ प्रस्ताव में अल्पसंख्यकों, जनजातीय क्षेत्रों तथा दलितों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए भी समुचित रक्षोपाय किए गए। विचार-विमर्श के बाद 22 जनवरी, 1947 को संविधान सभा के सदस्यों ने इसे सर्वसम्मति से पास कर दिया।

उद्देश्य प्रस्ताव की स्वीकृति के पश्चात् संविधान सभा ने संविधान निर्माण की समस्या के अनेक मुद्दों के संबंध में अनेक समितियां गठित कीं। संपूर्ण संविधान में 2 वर्ष, 11 माह और 18 दिन लगे। संविधान के प्रारूप पर 114 दिन तक चर्चा चली। अंतिम रूप में संविधान में 395 अनुच्छेद एवं 8 अनुसूचियां कायम की गईं। सभा की संपूर्ण कार्यवाही लोकतांत्रिक थी, सक्रियवाद-विवाद के बाद ही इसकी प्रक्रिया पूर्ण की गई। संविधान की स्वीकृति के बाद संविधान के कुछ अनुच्छेद 26 नवम्बर, 1949 से ही लागू कर दिए गए, जैसे-नागरिकता, निर्वाचन, अंतरिम संसद, अल्पकालिक एवं परिवर्ती उपबंध, लेकिन शेष संविधान को 26 जनवरी, 1950 से ही अस्तित्व में लाया गया। 26 जनवरी, 1950 से भारत एक गणराज्य के रूप में स्थापित हो गया।

## संविधान की प्रमुख विशेषताएं

भारत के संविधान की कुछ विशेषताएं भी हैं, जो भारतीय संविधान को एक महत्त्वपूर्ण पहचान प्रदान करती हैं। भारत का संविधान संसार के विभिन्न संविधानों की विशेषताओं पर आधारित है। डॉ. अम्बेडकर का मानना है कि संसार के प्रसिद्ध संविधानों को देखने के बाद ही इसे तैयार किया गया। मौलिक अधिकारों को अमेरिकी संविधान से लिया गया है। संसदीय प्रणाली को ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। राज्य के नीति-निर्देशक तत्व आयरलैण्ड के संविधान से लिए गए हैं। जर्मनी के संविधान तथा भारत सरकार अधिनियम, 1935 से आपातकालीन प्रावधान लिए गए हैं। ये समस्त विशेषताएं, जो दूसरे संविधानों से ली गई थीं, उन्हें देश की आवश्यकताओं के अनुसार परिवर्तित किया गया है। यह सबसे लम्बा लिखित संविधान है। इसमें 395 अनुच्छेद एवं 8 अनुसूचियां थीं। यह अधिकारों को सुरक्षा प्रदान करने की बात करता है। इसके अंतर्गत मौलिक अधिकार एवं राज्य के नीति-निर्देशक सिद्धांत शामिल हैं। संविधान निर्माताओं ने अलग निर्वाचक की बजाय सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को वरीयता दी है।

### सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार एवं पृथक् निर्वाचक की समाप्ति

मौलिक अधिकारों को शामिल करने के लिए निर्मित उप-समिति में चर्चा के बाद इन्हें संविधान में सम्मिलित करने की सिफारिश नहीं की, अपितु समिति ने संविधान के भाग 3 में रखने पर विरोध प्रकट किया और कहा कि इन्हें संविधान के किसी दूसरे भाग में स्थान दिया जाना चाहिए। उप-समिति सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के पक्ष में थी, परंतु उसने परामर्श दिया कि इन्हें मौलिक अधिकारों का भाग नहीं बनाया जाना चाहिए। इस प्रकार इन्हें संविधान के भाग 15 के अंतर्गत अनुच्छेद 326 में रखा गया है। यद्यपि अनुच्छेद 326 से 'सार्वभौम' शब्द गायब है, परंतु यह सत्य है कि देश के समस्त वयस्क नागरिक, जिन्हें मत देने का अधिकार है, वह एक तरह से सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार माना जाता है। भारत के निवासियों को वयस्क मताधिकार मिलने से पूर्व स्वतंत्रता आंदोलन के वरिष्ठ

www.neerajbooks.com

नेताओं ने पृथक् निर्वाचक की समाप्ति के लिए आंदोलन किया। ब्रिटिश सरकार ने भारत में 1909 के मार्ले मिन्टो सुधार से लेकर 1932 के 'कम्युनल अवार्ड' तक पृथक् निर्वाचक प्रक्रिया को जारी रखा। कम्युनल अवार्ड का प्रमुख लक्ष्य मुस्लिम, सिख, इसाई, यूरोपियन और ऐंग्लो इंडियन्स को पृथक् घोषित करना था। इसने पिछड़े वर्गों को भी सीटें प्रदान कीं, जिन्हें चुनाव में विशेष क्षेत्रों में पूर्ण किया जाना था। इन चुनाव क्षेत्रों में सिर्फ पिछड़े वर्गों को ही मताधिकार प्राप्त था। इस प्रकार की सिफारिशों का गांधीजी ने कड़ा विरोध किया। 1932 में इनके विरोध में वे आमरण अनशन पर बैठ गए। डॉ. अम्बेडकर ने गांधीजी के आमरण अनशन का विरोध किया। इसके पश्चात् गांधी और अम्बेडकर के मध्य पूना समझौता हुआ, जिसके अनुसार पिछड़े वर्गों को सामान्य सीटों में सीटें आरक्षित कर दी गईं।

## अभ्यास प्रश्न

**प्रश्न 1. भारत के संविधान को अपनाने एवं लागू करने में क्या अंतर है?**

**उत्तर**–भारत के संविधान को अपनाने का अर्थ है संविधान को स्वीकार करना। संविधान सभा द्वारा इसकी संरचना का कार्य पूर्ण होने पर इसे स्वीकार किया गया। संविधान को लागू करने का अभिप्राय है, इसका पहली बार आधिकारिक रूप से क्रियान्वयन करना।

**प्रश्न 2. भारत के संविधान को कब अपनाया गया तथा इसे कब लागू किया गया?**

**उत्तर**–भारत के संविधान को 26 नवम्बर, 1949 को अपनाया गया अर्थात् इस दिन संविधान सभा ने इसे अंतरिम रूप प्रदान किया, परंतु इसके ठीक 2 माह बाद यानी 26 जनवरी, 1950 को इसे लागू किया गया। भारत के संविधान को 26 जनवरी, 1950 को इसलिए लागू किया गया, क्योंकि इस दिन 26 जनवरी, 1930 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत की स्वतंत्रता का उत्सव मनाया था।

**प्रश्न 3. भारत सरकार अधिनियम 1935, अन्य पूर्व अधिनियमों से किस प्रकार भिन्न था?**

**उत्तर**–भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार के अन्य अधिनियमों से भिन्न था, क्योंकि उन अधिनियमों में ब्रिटिश इंडिया के प्रांत की सरकार एकात्मक अथवा केन्द्रीकृत थी अर्थात् प्रत्येक स्तर पर वही सरकार कार्यरत थी। जबकि भारत सरकार अधिनियम 1935, प्रांतीय स्वायत्तता पर बल देता है। इसके द्वारा अल्पसंख्यकों को संरक्षण प्रदान किया गया। इन संरक्षणों में अल्पसंख्यकों, जैसे-मुस्लिम, सिख, पारसी, यूरोपियन एवं ऐंग्लो इंडियन समुदाय को अलग प्रतिनिधित्व के प्रावधान किए गए। भारत सरकार अधिनियम 1935, के द्वारा संघ एवं प्रांतों के मध्य तीन सूचियों के अंतर्गत सत्ता के बँटवारे का प्रावधान किया गया। इस अधिनियम द्वारा एक संघीय न्यायालय की भी स्थापना की गई ताकि संघ एवं प्रांतों के मध्य विवादों को सुलझाया जा सके।

**प्रश्न 4. नेहरू रिपोर्ट ने क्या सिफारिश की थी?**

**उत्तर**–नेहरू रिपोर्ट ने निम्नलिखित सिफारिशें कीं थी

1. नेहरू रिपोर्ट में मौलिक अधिकारों को संविधान में स्थान देने का सुझाव दिया गया।
2. सिंध प्रान्त को मुम्बई से अलग एक पृथक् प्रान्त बनाने की सिफारिश की गई।
3. देश के प्रांतों को केन्द्र की तरह उत्तरदायी शासन की स्थापना करने का सुझाव दिया गया।
4. भारत को औपनिवेशिक स्वतंत्रता प्रदान की जाए। भारत का स्थान ब्रिटिश शासन के अंतर्गत अन्य उपनिवेश के समान हो।
5. भारत की केन्द्रीय व्यवस्थापिका दो सदनों (निम्न सदन तथा उच्च सदन) वाली हो। निम्न सदन का निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष रीति से और उच्च सदन का निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर परोक्ष रीति से किया जाए। निम्न सदन में 500 सदस्य तथा उच्च सदन में 200 सदस्य हों। निम्न सदन का कार्यकाल 5 वर्ष तथा उच्च सदन का कार्यकाल 7 वर्ष का हो।
6. केन्द्र में पूर्ण उत्तरदायी सरकार की स्थापना हो।
7. भारत के गवर्नर जनरल को लोकप्रिय मंत्रियों के सुझावों पर और संवैधानिक प्रधान के रूप में काम करना चाहिए।
8. केन्द्र और प्रांतों के मध्य शक्तियों का उचित वितरण किया जाए। अवशिष्ट शक्तियां केन्द्र को दी जाएं।
9. भारत के उत्तर-पश्चिम सीमा प्रांत को वैधानिक प्रांत घोषित किया जाए।
10. भारत के प्रांतों/राज्यों के अधिकारों/विशेषाधिकारों की रक्षा की जाए। भारतीय संघ में अन्य प्रांतों को तभी शामिल किया जाए, जब वे उत्तरदायी शासन की व्यवस्था कर लें।
11. न्यायपालिका विधायिका से स्वतंत्र होनी चाहिए।
12. केन्द्र सरकार में एक-चौथाई मुस्लिम प्रतिनिधित्व होने चाहिए।
13. बंगाल और पंजाब प्रांत में जनसंख्या समुदायों के लिए किसी सीट का आरक्षण न हो, परंतु जिन राज्यों में मुस्लिम आबादी 10 प्रतिशत से कम हो, वहां पर मुस्लिमों के लिए सीटों का आरक्षण किया जाना चाहिए।
14. भारत में सरकार को संघीय रूप से स्थापित किया जाए। अल्पसंख्यकों के लिए पृथक् निर्वाचन प्रणाली को समाप्त किया जाए क्योंकि इससे साम्प्रदायिक भावनाएं उत्पन्न होती हैं।